बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट: https://bsea.bihar.gov.in, ई-मेल:bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक : 04/03/2025

अधिसूचना

संख्या-नि. प्रा./04(विविध) 1-07/ 2023 (खण्ड) ...671... चूँकि बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) में निहित्त प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड, जिनका निर्वाचन देय है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक- 1 में अंकित **24 जीविका महिला स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के बोर्ड/ निदेशक पर्षद** का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) की धारा-7 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **कंडिका-4** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार 24 जीविका महिला स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के **उनकी उपविधियों में यथा वर्णित निर्वाचन योग्य पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 09.04.2025 (बुधवार) की तिथि नियत करता है** तथा संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र **संख्या-378 दिनांक 04.02.2025** से मतदाता सूची तैयार करने के लिए **कट-ऑफ तिथि 31.01.2025** निर्धारित की गयी थी एवं तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन **दिनांक 28.02.2025** को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. अनुलग्नक- 1 में अंकित जिन जीविका महिला स्वाबलंबी सहकारी समितियों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 28.02.2025 को किया जा चुका है, उनके निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई. 1 में सूचना का प्रकाशन	10.03.2025 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	26.03.2025 (बुधवार) एवं 27.03.2025 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	28.03.2025 (शुक्रवार) एवं 29.03.2025 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि	02.04.2025 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	09.04.2025 (बुधवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	09.04.2025 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	11.04.2025 (शुक्रवार)

5. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट- **http//bsea.bihar.gov.in** पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। **यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्टि नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा:-**

क्र०	सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय	प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि को अपराह्न के पूर्व	प्रपत्र ई०-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्ट करना है।
iv.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र ई० 18)।
v.	मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के नाम हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति को स्कैन कर [Scan Resolution-Maximum 200 to 300 dpi (पठनीय), Color Mode- Black & White (रंगीन अथवा ग्रे रंग में स्कैन नहीं करना है), Scan File Mode-PDF, File size-Maximum 20 MB (यदि मोबाइल फोन से स्कैन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक पैक्स के लिए स्कैन फाईल साईज 20 MB से ज्यादा न हो)] कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है।

6. <u>प्रपत्र ई०-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा।</u> अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए <u>निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात्</u> संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।

7. बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) द्वारा बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-26 में किये गए संशोधन के आलोक में बोर्ड के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्बाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

(ii) स्वाबलम्बी सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या बोर्ड के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली
रहेंगे।

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग–अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर संघ की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर बोर्ड में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

(vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक– 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 (बारह) मानकर एवं तद्नुसार उपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।

8. **अनुलग्नक– 1 में अंकित समितियाँ केवल महिलाओं की हैं। अतः महिला समिति में महिलाओं के लिए अलग से पदों को आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है।** निर्वाचन पदाधिकारी बोर्ड के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न **प्रपत्र–ई॰ 1** में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक **10.03.2025 (सोमवार)** को प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

9. जिन स्वाबलम्बी समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र–ई॰ 3** में विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र–ई॰ 18** में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को ई–मेल **(bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही **प्राधिकार के वेबसाइट पर भी ई–18 अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।**

10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ है) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड कराएँगे।

11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 11.04.2025 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134–142 पर देखे जा सकते हैं।

आशुतोष कुमार
4-03-25
(आशुतोष कुमार)
अवर सचिव

अनुलग्नकः यथोक्त।

ज्ञापांक : 671 पटना/ दिनांक : 04/03/2025

प्रतिलिपि : ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

आशुतोष कुमार
4-03-25
अवर सचिव

ज्ञापांक : 671 पटना/ दिनांक : 04/03/2025

प्रतिलिपिः संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित अपर समाहर्त्ता/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि पैक्स चुनाव की भाँति इस चुनाव में भी **दिनांक 20.03.2025 तक** कृपया अपने स्तर से पर्यवेक्षक (Observer) की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतदान की अवधि 07:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जा सकती है।

3. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आशुतोष 4-3-25
अवर सचिव

ज्ञापांक : 671 पटना/ दिनांक : 04/03/2025

प्रतिलिपिः संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित समिति की उपविधि **दिनांक 08.03.2025 तक** निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) को उपलब्ध करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियाँ के आधार पर जिन–जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे।

आशुतोष 4-03-25
अवर सचिव

ज्ञापांक : 671 पटना/ दिनांक : 04/03/2025

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

आशुतोष 4-03-25
अवर सचिव

ज्ञापांक : 671 पटना/ दिनांक : 04/03/2025

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी –सह– राज्य मिशन निदेशक, जीविका/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, पटना/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आशुतोष 4-03-25
अवर सचिव

ज्ञापांक : 671 पटना/ दिनांक : 04/03/2025

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा– 2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

3. श्री वेद प्रकाश, आई. टी. प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित वेबसाईट पर की जानेवाली सभी प्रविष्टियाँ तथा ई–18 और अंतिम मतदाता सूची अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

आशुतोष 4-3-25
अवर सचिव

निर्वाचन हेतु स्वावलंबी सहकारी समितियों (जीविका) की सूची:–

क्र०	जिला	प्रखंड	समिति का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	वैशाली	पातेपुर	सार्थक जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड डढुआ	
2.	वैशाली	भगवानपुर	शिखर जीविका महिला विकाश स्वाबलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड भगवानपुर	
3.	वैशाली	राजापाकर	सम्पूर्णा जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड ,राजापाकर	
4.	वैशाली	महनार	नारी शक्ति जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड, चमरहरा	
5.	वैशाली	गोरौल	उड़ान जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड सोंधो अंधारी गाछी	
6.	वैशाली	चेहराकला	नारी आस्था जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड चेहराकलां	
7.	वैशाली	विदुपुर	भूमि जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड शीतलपुर	
8.	वैशाली	सहदेई बुजुर्ग	आशीर्वाद जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड मंगलहाट चौक	
9.	वैशाली	सहदेई बुजुर्ग	विश्वास जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड ,भगवानपुर	
10.	वैशाली	वैशाली	सर्वोत्तम जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड ,जतकौली	
11.	वैशाली	लालगंज	आनंद ज्योति जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड गुरमिया	
12.	गया	मोहड़ा	महारानी जीविका महिला विकाश स्वालम्बी सहकारी समिति लि० तेतर	
13.	गया	टिकारी	बंधन जीविका महिला विकास स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, नेपा टिकरी	
14.	गया	परैया	अन्नपूर्णा जीविका महिला विकास स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेड , सोलरा	
15.	गया	वजीरगंज	आँचल जीविका महिला विकाश स्वालम्बी सहकारी समिति लिमिटेड	
16.	कटिहार	आजमनगर	स्तुति जीविका महिला विकास स्वालम्बी सहकारी समिति लिमिटेड, आजमनगर	
17.	कटिहार	प्राणपुर	कल्याणी जीविका महिला विकास स्वालम्बी सहकारी समिति लिमिटेड, प्राणपुर	
18.	कटिहार	फलका	सहमति जीविका महिला विकास स्वालम्बी सहकारी समिति लिमिटेड, फलका	
19.	कटिहार	बलरामपुर	अर्चना जीविका महिला विकास स्वालम्बी सहकारी समिति लिमिटेड, बलरामपुर	

क्र०	जिला	प्रखंड	समिति का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
20.	कटिहार	मनसाही	सहयोग जीविका महिला विकास स्वालम्बी सहकारी समिति लिमिटेड, मनसाही	
21.	कटिहार	हसनगंज	नारीशक्ति जीविका महिला विकास स्वालम्बी सहकारी समिति लिमिटेड, हसनगंज	
22.	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	चकिया	उपकार जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड, चकिया	
23.	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	बनकटवा	मशाल जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड.	
24.	बेगूसराय	तेघड़ा	बढ़ते कदम जीविका महिला विकास स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, फुलवड़िया	

......0......

<u>अनुलग्नक-2</u>

..................समिति का निर्वाचन

प्रपत्र- ई॰-1

सूचना का प्रपत्र

जिला ...., प्रखंड ....के अन्तर्गत................................(समिति का नाम) के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.......................को किया जाना है,

मैं..निर्वाचन पदाधिकारी एतद् द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या .... है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1	2

(ii) अध्यक्ष/ सचिव के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.. (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में..(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को .... (स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक ....(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक................................से दिनांक........................ ......तक ....बजे से...................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक........................को.................................. (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक......................................को अपराह्न .... बजे के पूर्व तक .... (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

*(vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र- ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा।

(viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक..को निम्नांकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगाः-

मतदान केन्द्र संख्या	मतदान केन्द्र का नाम
(1)	
(2)	
(3)	

(ix) मतगणना दिनांक ....को ....बजे से .... (स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी।

स्थान -

तिथि - निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

....

*जो लागू न हों, उसे काट दें।